



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(1)परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/CMO/स्था.-पद./2019/4433 जयपुर दिनांक:- 12/10/2022

—:आदेश:—

निम्नलिखित विकास अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1.	सुश्री अनीता कुमारी	पंचायत समिति सावर (अजमेर)	पंचायत समिति बहरोड (अलवर)	रिक्त पद पर

आदेश में वर्णित उपरोक्त अधिकारी प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित पदस्थापित स्थान से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर।
8. जिला कलक्टर, अलवर/अजमेर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर/अजमेर।
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
11. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. आदेश पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)